सशक्त राज्य में अशक्त स्त्री

विकास नारायण राय

स्त्री-विरुद्ध यौन हिंसा से निपटने के उपायों/तौर-तरीकों को लेकर सामाजिक-सांस्कृतिक ही नहीं, काफी कानूनी विभ्रम भी हैं। कठोरतम दंड प्रावधानों के साए में, देश की अपराध-न्याय व्यवस्था व्यभिचारी आसाराम और ठरकी तेजपाल के आचरण में भेद नहीं कर पा रही है; पुलिस एवं अदालती कार्यवाही में दोनों को एक समान ही निपटाया जा रहा है। यौनिक दुराचार के आरोपी जजों की ओर से भी बचाव में जैसी सफाइयां आयी हैं वे अनायास उत्पीड़ित को ही जवाबदेह बना देती हैं। यहाँ तक कि एक सक्रिय समाजकर्मी खुर्शीद अनवर ने तो अतिवादी मीडिया माहौल में बजाय पुलिस/अदालत का कानूनी रूप से सामना करने के आत्महत्या का ही रास्ता चुन लिया। अब, अन्य सरकारों की तरह, दिल्ली में आम आदमी की सरकार भी पुलिस गश्त के दम पर ही बलात्कार और देह-व्यापार को रोकने का आह्वान कर रही है।

ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय, अपने दो पूर्व जजों पर यौनिक दुराचरण का आरोप सार्वजनिक होने के बाद, ऐसे मामलों में छानबीन की एक मानक प्रणाली बनाने की राह पर है। कार्यस्थल पर स्त्री उत्पीड़न रोकने के 'विशाखा' कानूनों के बावजूद, व्यवहार में केवल शिकायत-सफाई-दंड-निगरानी तक सीमित परिदृश्य में हर नयी पहल का स्वागत होना चाहिए। आखिर स्त्री को अपने यौनिक अस्तित्व के चप्पे-चप्पे पर अराजक 'मर्द' से सामना होने का खतरा उठाना ही है - सड़क के लम्पट, कार्यस्थल के उत्पीड़क, घरों-मोहल्लों के भेड़िये, उसकी नियति से जल्दी विदा नहीं होने जा रहे। न निकट भविष्य में उसे अपने नजरिये से कानून मिलने जा रहे। कम से कम, कानूनी दायरे में न्याय का गुरुतर कार्यभार उठानेवाले जजों के लैंगिक आचरण में तो उसका विश्वास बना रहे।

नए वर्ष में राजधानी में डेनमार्क की एक पर्यटक का सामुहिक बलात्कार चाहे नशेड़ी उचक्कों की वहशी जमात का काम हो पर एक स्तर पर यह सांस्कृतिक बलात्कारों की ही कड़ी है। और लोकतांत्रिक ***जन-आन्दोलनों के रास्ते दिल्ली में सत्ता में आयी आम आदमी पार्टी द्वारा वैश्यावृत्ति रोकने के नाम पर विदेशी महिलाओं पर नैतिक निगरानी थोपना, स्त्री के विरुद्ध लैंगिक पाशविकता की वैसी ही खाप-कवायद है जैसी 'डायनों', 'छिनालों', 'कुलटाओं' को समाज से मिटाने के नाम पर होती आयी है। ऐसे में क्या यह नियम बन सकेगा कि स्त्री की सुरक्षा, शालीनता व हक-प्राप्ति की कानूनी-संवैधानिक प्रणालियों से जुड़े हर पेशेवरकर्मी के लिए लिंग-संवेदी प्रमाणित होना भी एक पूर्व-शर्त हो। एक जज के लिए ही नहीं; अभियोजक, वकील-सफाई, अनुसंधानकर्ता, सुरक्षाकर्मी, मैजिस्ट्रेट, जेलकर्मी, महिला आयोगकर्मी, चिकित्साकर्मी, काउंसलर, मीडियाकर्मी, मंत्री के लिए भी। लिंग-संवेदी मिजाज उनके पेशेवरपन का अनिवार्य हिस्सा हो।***

सामुहिक बलात्कारों को रोजमर्रा के सामान्य यौनिक अपराधों के प्रति चौतरफा सजगता से ही रोका जा सकता है। इस दर्जे की सजगता पुलिस की गश्त, निगरानी और आसूचना की सटीकता और उसमें समाज के चौकस योगदान से हासिल होगी। 'संवेदी पुलिस' रेजीम में ही ऐसा जुड़ाव संभव है। गंभीर/चर्चित मामलों में प्रदर्शनों, धरनों, कैंडल-मार्चों, निलंबनों, तबादलों, सजाओं इत्यादि से पुलिस व अन्य पेशेवरकर्मियों के आचरण की बस व्यक्तिगत जवाबदेही निशाने पर लायी जा सकती है, वह भी यौन अपराधों के घट जाने के बाद। पर, घटना-पूर्व की, अपराध को संभव करनेवाली चूकों/परिस्थितियों को लेकर उनकी जवाबदेही? रोजमर्रा के यौनिक हिंसा के सामान्य मामलों के नजरअंदाज किये जाने की जवाबदेही? और इन स्थितियों के होने में राज्य की अपनी जवाबदेही? 'संवेदी पुलिस' से नत्थी ये जवाबदेहियां कहीं अधिक महत्व का मुद्दा होनी चाहिए। इस लिहाज से भी कि लोकतंत्र में, विशेषकर उत्पीड़ित को, लैंगिक रूप से संवेदी पुलिस ही आश्वस्त करेगी। तभी रोजमर्रा की वांछित पुलिस सजगता की दिशा में भी राज्य/समाज की वैसी ही सक्रियता बन पाएगी जैसी आज कानूनी रूप से अधिकार-संपन्न और प्रशासनिक रूप से जवाबदेह पुलिस को लेकर नजर आती है।

समाज में भी यौनिक अराजकता की अनेक स्थितियां हैं। बेलगाम यौन विस्फोट के मुकाबले नदारद यौन शिक्षा की स्थिति बच्चियों को बीमार दिमागों के रहमों-करम पर रखती है। आप निगरानी में क्या-क्या भूखंड रखेंगे जब सारा का सारा भूगोल असुरक्षित हो! बलात्कार जब चलती बस में हुआ तो हर बस की निगरानी, जब सामुदायिक शौचालय में तो हर शौचालय पर नजर, कार पार्क में या किसी निर्जन परिसर में होने पर ऐसी तमाम जगहों की पुख्ता चौकीदारी! और जब घर/पड़ोस में हो तो?

सामुदायिक या पंचायती कलेवर में घटे तो? सामुहिक बलात्कारों पर राजनीति भी ठेठ पुलिसिया उपायों के गिर्द ही घूमती मिलेगी। 2013 में हुयी विधिक कवायदों का अनुभव बताता है कि जघन्य यौनिक अपराधों के लिए पुलिस की कमी-कोताही को ही कोसते रहने का मतलब है राज्य के प्राधिकार में वृद्धि की और निरर्थक जमीन तैयार करना, और पुलिस के मनमानी-क्षेत्र को ही और बड़ा करना।

एक वर्ष का समय कम नहीं होता, बशर्ते हम सबक लेना चाहें कि हम पहुंचे कहाँ? इस बीच यौन अपराधियों के विरुद्ध कानूनी ढांचा मजबूत हुआ पर स्त्री की सुरक्षा की कानूनी मशीनरी ज्यों की त्यों अप्रभावी दिखी। वर्ष 2013 में, दिसंबर'12 के कुख्यात दिल्ली बस बलात्कार काण्ड के चलते, यौनिक हिंसा के मामलों में राज्य की मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त करने में विधायिका एवं कार्यपालिका के समानांतर न्यायपालिका की पहलों की भी भूमिका अभूतपूर्व ही गिनी जायेगी। दंड और कठोर किये गए, अनुसन्धान एवं अभियोजन की प्रणालियाँ त्वरित की गईं, और पुलिस बलों को पहुँच, संख्या व तकनीकी के लिहाज से बेहतर बनाया गया। यानी राज्य के आरक्षी व विधिक प्राधिकार को मजबूत करने से स्त्री की सुरक्षा भी मजबूत होगी, सभी द्वारा यही निचोड़ मान-ठान लिया गया।

लिहाजा, समाज के लिए, इस रास्ते पर चलते रहने का नतीजा एकदम विपरीत रहना स्तब्धकारी है। पर हुआ है कुछ ऐसा ही। यौन-उत्पीड़न और बलात्कार की बाढ़ जरा भी नहीं थमी।

वर्ष भर के अनुभवों का सबक यही निकलेगा - राज्य मशीनरी का प्राधिकार बढ़ाने से स्त्री-सुरक्षा की प्रणाली प्रभावी या विश्वसनीय नही हुयी। नए कानूनों ने राज्य को और सशक्त तथा मीडिया पहलों ने स्त्री को और मुखर किया, तो भी स्त्री के पूर्ववत अशक्त बने रहने और राज्य मशीनरी के असंवेदी होने से, उसकी सुरक्षा के नाम पर किये जानेवाले उपायों में दिशाहीनता ही अधिक दिखी। जनवरी' 14 में दिल्ली और कोलकाता में घटे दो चर्चित सामुहिक बलात्कार प्रकरणों से क्या सीख ली गयी - दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पुलिस को हर बलात्कार काण्ड के लिए जिम्मेदार चेताया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हर बलात्कारी को खामियाजा भुगताने का वादा दोहराया। राजनीतिक वर्ग इसी तरह की मंशा का शिकार रहा है। अगर पुलिस उसके अधीन है तो वह बलात्कारियों पर बरसता है, अन्यथा पुलिस उसके निशाने पर रहती है। अगले काण्ड तक चुप्पी रहेगी और फिर यही क्रम दोहराया जाएगा। दरअसल, जब बहुप्रचारित यौनिक हिंसा के मामलों में मात्र कठोरतम दंड और गहनतम निगरानी की मांग ही वातावरण में बुलंद रहती है, लगता है हम सबक सीखना ही नहीं चाहते।

यौनिक हिंसा के तमाम बहुचर्चित कांडों की भी गवाही है कि दंड की अतिरिक्त कठोरता से उत्पीड़ित का भला नहीं होता, और निगरानी करनेवालों की निगरानी का राजकीय चक्रव्युह स्त्री को आश्वस्त नहीं करेगा। बल्कि इनसे राज्य की असंवेदी मशीनरी को अपनी जवाबदेही छिपाने का कवच जरूर मिल जाता है। दिसंबर 2013 में चंडीगढ़ के 5 बलात्कारी पुलिसकर्मियों को महज यौन अपराधी मानकर, उस प्रकरण को उनकी गिरफ्तारी, बर्खास्तगी व चालान/सजा तक सीमित करना प्रशासन की ऐसी ही ज्वलंत चूक है। एक घरेलू मामले की शिकायतकर्ता स्कूली क्षात्रा की गुहार पर पुलिस कंट्रोलरूम द्वारा सहायता के लिए भेजे गए इन पी सी आर कर्मियों ने उस क्षात्रा की डांवाडोल परिस्थिति का फायदा उठाते हुए उसका यौन शोषण ही शुरू कर दिया। वे पहले भी ऐसे मामलों में इसी तरह के कुकृत्य कर चुके थे; इस क्षात्रा की शिकायत पर अब जाकर नंगे हुए7 अधिकार-संपन्न पुलिस की इस टोली पर राज्य द्वारा अंततः अधिकतम आपराधिक जवाबदेही, गिरफ्तारी, बर्खास्तगी, ट्रायल - लादी गयी। पर उत्पीड़ित का नजरिया अलग होगा - काश इस टोली के स्थान पर एक लिंग-संवेदी टोली रही होती!

राज्य के नजरिये से बनाए गए कार्य-स्थल पर यौनिक हिंसा रोकने के 'विशाखा' नियम-कानून उस क्षात्रा के काम नहीं आए क्योंकि पुलिस विभाग ने पेशेवर सांडों को लैंगिक असमानता के संवेदनशील क्षेत्र में उतारा हुआ था। असंवेदी प्राधिकार को मजबूत करने की यह एक स्वाभाविक मिसाल है, जहां उत्पीड़ित को सुरक्षा मिलनी तो दूर, उसे राज्य की सुरक्षा मशीनरी के हाथों ही यौनिक शोषण मिला। जबकि, स्त्री को सशक्त करने के नजरिये से बनी कानूनी प्रणाली की पहली ही शर्त होती कि स्त्री का अपराध-न्याय व्यवस्था से संपर्क केवल प्रमाणित लिंग-संवेदी कर्मियों के माध्यम से ही होगा।

ऐसे में अव्वल तो पुलिसकर्मियों की सारी टोली बलात्कार में लिप्त नहीं हो सकती थी; संवेदीकर्मी एक-दूसरे के आचरण को नैतिक रूप से संतुलित करते, न कि, जैसा कि इस मामले में हुआ, एक दूसरे को पतन के गर्त में धकेलते। दूसरे, 'संवेदी' अनुशासन में जवाबदेही केवल अपराध करनेवाले पी सी आर कर्मियों की ही नहीं बनेगी; बल्कि उन्हें बिना पूर्णत: लिंग-संवेदी बनाए कार्यक्षेत्र में उतारनेवालों की और ज्यादा होगी।

यदि स्त्री के नजरिये से कानून की लक्ष्मण-रेखा खींचने की पहल की जाय तो कार्यस्थलों पर यौनिक दुराचार की रोकथाम के जरूरी उपाय भी होंगे जो आज नदारद हैं। ऐसे स्वचालित उपाय कि उत्पीड़न के खतरे के सामने स्त्री मजबूती से खड़ी दिखे, न कि उत्पीड़क से अवांछित साक्षात्कार की विवशता झेले। सवाल है 'संवेदी पुलिस' किसकी जरूरत है? पुलिस विभाग की? राजनीतिकों की? समाज की? स्त्रियों की? लोकतंत्र की? पुलिस विभाग अपनी कार्यकुशलता आंकड़ों में दिखा लेता है; राजनीतिकों को अधीन पुलिस रास आती है; समाज लैंगिक बराबरी से बिदकता रहा है; स्त्रियों की नैतिक घेरेबंदी है; और, लोकतंत्र को चुनावी कवायद का स्टीरायड चला रहा है।

केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ठीक ही भ्रष्ट कहा है। ज्यादा समय नहीं बीता जब एक पुलिस कमिश्नर खुले में थाने बेचता था और अपराध के आंकड़ों में मौखिक निर्देशों से हेरा-फेरी कराता था। कामो-बेश हर राज्य में पुलिस की ऐसी ही कहानी है क्योंकि मूलत: हमारी पुलिस समाज से कटी एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। यदि परिवर्तन चाहिए तो पुलिस के लोकतन्त्रीकरण की हिम्मत दिखानी होगी। लोकतंत्र, समाज को सशक्त करने की प्रणाली है और 'संवेदी पुलिस' इस लिहाज से 'सशक्त समाज' की दिशा में लोकतांत्रिक पहल भी होगी। स्वाभाविक रूप से, यह उन आभासों के प्रति भी अधिक सटीक उपायोंवाली सिद्ध होगी जो वातावरण में यौनिक खतरों के होने का संकेत करते हैं। 'संवेदी' रेजीम संभव है।

'युवराज' राहुल बने 'एंग्री यंग मैन'

मनोज कुमार झा

यह अलग बात है कि राहुल गांधी को कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया, पर यह सभी जानते हैं कि वंशवादी कांग्रेस में राहुल के अलावा प्रधानमंत्री का दूसरा कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता। भूलना नहीं होगा कि वर्षों से राहुल को 'युवराज' कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संभवत: अपने अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल को प्रधानमंत्री पद का सबसे सुयोग्य उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। पहले भी वह कह चुके हैं राहुल के लिए प्रधानमंत्री पद छोड़ सकते हैं। कांग्रेस में राहुल की चरण-वंदना करने वालों की भरमार है। कोई ऐसा नहीं जो उनके नेतृत्व पर सवाल उठा सके। स्वयं सोनिया गांधी की एकमात्र महत्वाकांक्षा यही है कि राहुल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजें।

राहुल कुछ ऐसे कारनामे भी करते रहे हैं, जिनसे लगता है कि ये अपने आप को प्रधानमंत्री और पार्टी से ऊपर समझते हैं। अभी हाल में, इन्होंने कुछ ड्रामाई अंदाज भी अपनाया है। पार्टी की भरी सभा में प्रधानमंत्री से 12 गैस सिलिंडरों की मांग कर डाली। इसके पहले मंच पर सरकार द्वारा पारित विधेयक तक फ़ाड़ चुके हैं। उन्हें लगता है कि इससे वे जनता के बीच लोकप्रिय हो जाएंगे, पर आमलोग उनकी ड्रामेबाज़ी और बचकाने अंदाज पर हंसते ही हैं। यह अलग बात है कि उनकी मां सोनिया ताली बजाती हैं और चमचे जयजयकार करते हैं।

खबर है कि किसी जापानी पी आर कंपनी को राहुल की इमेज चमकाने के लिए सोनिया ने 500 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके पहले भी खबर आई थी कि राहुल ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री बनने की ट्रेनिंग ली है। भारतीय राजनीति में ऐसी बातें पहले शायद ही सुनी गई हों। इससे साफ़ जाहिर है कि कांग्रेस ने राजनीति को पतन के किस गर्त में पहुंचा दिया है। हालत ये है कि देश का एक प्रमुख उद्योगपति जो कांग्रेस के केन्द्रीय कार्यालय को अपना दूसरा घर बताता रहा है, वही कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी नरेन्द्र मोदी के पक्ष में अभियान चला रहा है। कांग्रेस की छत्र-छाया में देश को लूटने वाले लगातार मजबूत होते गए हैं । संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन लूटेरो दलों का प्रमुख गिरोह बन गया है। इसे समर्थन देने वालों में भी राष्ट्रीय जनता दल, बहुजनसमाज पार्टी और समाजवादी पार्टी हैं जिन्होंने लूटमार और गुंडागर्दी के नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

आने वाले चुनाव में जनता इनसे हिसाब चुकता करेगी। बहरहाल, आम आदमी पार्टी ('आप') ने इन सभी दलों के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी है। 'आप' के अभ्युदय से कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, राजद आदि भ्रष्टाचार के पंक में डूबे दलों एवं इनके टुकड़ों पर पलने वाले मीडिया जगत के बड़े सितारों में खलबली मच गई है।

'आप' की अप्रत्याशित मानी जाने वाली जीत के बाद 'युवराज' राहुज ने कहा था कि कांग्रेस जनता को जोड़ नहीं पाई। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को जनता से जुड़ना होगा। इसी कांग्रेस ने अपनी कुटिल नीति के तहत बिना मांगे 'आप' को समर्थन देकर उसकी सरकार बनवाई है, ताकि कहीं सरकार कामयाब न हो पाए तो कह सके कि सरकार तो बस वही चला सकती है।

भूलना नहीं होगा, यूपी विधानसभा चुनाव के पहले राहुल ने अपने तरीके से जनता को जोड़ने की कोशिश की थी । युवराज यूपी के गांवों में जाते थे और हरिजनों की झोपड़ी में सोकर, उनके यहां खाकर उन्हें कृतार्थ करते थे। युवराज की इस नौटंकी का कांग्रेसियों ने जमकर प्रचार किया और समझते रहे कि इससे यूपी की सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी। पर सत्ता कांग्रेसियों के हाथ न आई। युवराज कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। लोकतंत्र का अपहरण करने में मुलायम सिंह यादव को उस वक्त सोनिया ने अपना दुश्मन नं. 1 घोषित कर रखा था अब यही मुलायम सोनिया को वक़्त-बेवक़्त सहारा दे रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल और 'आप' के अभ्युदय के कारण असंभव-सा प्रतीत होता है। सोनिया गांधी और उनके सुपुत्र राहुल गांधी को यह विश्वास है कि कुछ मुद्दों पर अपनी ही सरकार का खुले मंच पर विरोध करने से जनता उनके पक्ष में आ सकती है और उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल सकता है। पर यह कोरा ख़्वाब है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। मंच पर राहुल जब चीखते हैं तो अत्यंत ही हास्यास्पद दिखते हैं, पर चाटुकार मीडिया उन्हें 'एंग्री यंग मैन' बताता है। यह विचित्र ही बात है कि मध्यवय में पहुंच जाने के बाद भी राहुल कहीं से वयस्क नज़र नहीं आते। लगता है, उनका बचपना गया नहीं है। अभी भी वो राहुल बाबा ही बने हुए हैं। उनके व्यक्तित्व में राजनेता की गंभीरता नहीं दीखती।

दरअसल, राहुल ने बाहर की दुनिया कम ही देखी है। जन-जीवन से उनका परिचय नहीं के बराबर है। वे एक सीमित, सुरक्षित स्वर्ग में रहते रहे हैं। उनके खुद के जीवन में कभी कोई संघर्ष तो रहा नहीं, न ही उन्होंने जन-जीवन के संघर्ष को देखने-समझने की कोशिश की। ऐसा व्यक्ति उम्र से बड़ा होने के बावजूद निरा बच्चा ही रह जाता है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यूपीए-1 और यूपीए-2 की सरकार इतिहास में अगर किसी बात के लिए जानी जाएगी तो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में होने वाले लाखों-लाख करोड़ के न जाने कितने घोटालों के लिए, साम्राज्यवादी अमेरिका के आगे निर्लज्ज आत्मसमर्पण के लिए और देशी-विदेशी पूंजीपतियों को देश के संसाधनों की लूट की खुली छूट देने के लिए।

अब तो खैर, कांग्रेस की बुरी हालत को देखते हुए कई कद्दावर नेता खुलकर राहुल को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने के विरोध में आ गए। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने जहां कांग्रेस की नीतियों की खुली आलोचना की, वहीं गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और शरद पवार ने नेतृत्व राहुल को सौंपने का विरोध किया। शिंदे ख़ुद को शरद पवार का शिष्य बताते हैं जो भ्रष्टों के सिरमौर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुलेआम कह रहे हैं कि शिंदे दिल्ली के थानेदारों से मंथली वसूलते हैं। अगर ये सच है तो सोनिया-राहुल को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर ये सच न भी हो तो यह तो खुला सच है कि सोनिया के दामाद और राहुल के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा में जबरदस्त जमीन घोटाला किया। हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। राबर्ट वाड्रा और डीएल एफ के बीच हुए अवैध सौदे को आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने रद्द कर दिया था । परिणामस्वरूप हरियाणा सरकार ने उन्हें निलम्बित कर दिया और अब उन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई जांच बिठाई जा रही है।

स्पष्ट है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की फसल हर जगह उगाने के लिए तत्पर है। ऐसे में राहुल जो 'एंग्रीयंगमैन' होने का अभिनय कर रहे हैं तो वह इसमें भी फेल ही दिख रहे हैं। उन्हें चाहिए कि अपने पिता के मित्र और 'सिलल्वर स्क्रीन' के एंग्रीयंगमैन अमिताभ बच्चन से अभिनय की थोड़ी ट्रेनिंग ले लें जो फिलहाल उनके कट्टर दुश्मन नरेंद्र मोदी के पाले में हैं। ■